

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या- 352 / VII-A-2 / 2024 / 35(सिडकुल) / 2019
देहरादून: दिनांक 02 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सम्यक विचारोंपरान्त सिडकुल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित श्री पंकज गुप्ता तथा श्री सुधीर कुमार विंडलास को तत्काल प्रभावसिडकुल बोर्ड से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में सिडकुल की आगामी बोर्ड बैठक में कम्पनी एक्ट-2013 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या- 352(1) / VII-A-2 / 2024 / 35(सिडकुल) / 2019, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) उत्तराखण्ड, कोलागढ़, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाँयू एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. निदेशक मण्डल, सिडकुल के समस्त सदस्यगण, उत्तराखण्ड।
9. श्री पंकज गुप्ता।
10. श्री सुधीर कुमार, विंडलास, 53 आर0 राजपुर रोड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।